न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2018(2018 / 00533)

1. भीमडा पुत्र गोगा।
2. रामधन पुत्र श्री गोगा।
3. रघुनाथ पुत्र श्री गोगा

समस्त जाति बैरवा निवासी मजरा सवाईपुरा(प्रान्हेडा) तहसील केकडी जिला अजमेर।

–प्रार्थीगण

बनाम

[redacted] सहकारी समिति प्रान्हेडा जरिये प्रबन्धक सहकारी समिति प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील केकडी।

–—अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री हनुमान प्रसाद –वकील प्रार्थी
पेरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) –अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.5.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी की निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
581–674	520	2.02	बारानी 2

उक्त वर्णित आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो करीब 20 फुट चौडा है जो खसरा संख्या 535 रकबा 1.06हैक्टर किस्म बारानी 2 में स्थित है तथा उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है और प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का उक्त रास्ता वर्तमान खसरा संख्या 535 में मौजुद है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 12.7.2018 से ही उक्त रास्ते मे से होकर प्रार्थीगण को आने जाने में बाधा उत्पन्न करने लग गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज होने के कारण आये दिन रास्ते को हांक कर अवरूद्व कर देते है। इससे प्रार्थीगण को आराजी को काश्त करने के लिए कृषि यंत्र ट्रेक्टर के आने जाने में बाधा उत्पन्न करते है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को उक्त कदीमी रास्ते में से होकर जाने आने से मना कर रहा है। तथा आमादा पिसाद रहते है। प्रार्थीगण को उक्त एकमात्र कदीमी रास्ता होने के कारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.24 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

बहुत परेशानियो का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कदीमी रास्ता जो खसरा संख्या 535 रकबा 1.06 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में स्थित है जो करीब 20 फुट चौडा है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 12.07.2018 से ही उक्त कदीमी रास्ते को हाककर एंव इसके बाद फसल काश्त कर अवरूद्व करने की धमकिया दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 अगर उक्त अवैध व गैरकानूनी कृत्य में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी को काश्त करने से वंचित हो जायेगा। तथा प्रार्थीगण हक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडेगा इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का वर्तमान में विद्यमान एकमात्र कदीमी रास्ता जो करीबन 20 फूट चौडा है को अवरूद्व कर दिया जाता है तो उक्त कदीमी रास्ते को खुलासा करवाया जाना न्यायोचित आवश्यक है तथा रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में भी रास्ता इन्द्राज खसरा संख्या 535 रकबा 1.06हैक्टर किस्म बारानी 2 में करवाया जाना आवश्यक है। एवं न्यायोचित है अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज उक्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 535 रकबा 1.06हैक्टर में कदीमी रास्ता 20 फीट दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है तथा प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का प्रतिकर जमा करवाने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त खसरा संख्या 535 रकबा 1.06 हैक्टर किस्म बारानी 2 में स्थित कदीमी रास्ते को अवरूद्व कर दिये जाने पर खुलासा करवाना जाना न्यायोचित आवश्यक है इस हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट उनके पत्र दिनांक 12.3.2022 द्वारा रिपोर्ट पेश कि गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

ग्राम सवाईपुरा में प्रान्हेडा के खसरा संख्या 520 रकबा 2.02 किस्म बारानी 2 खातेदार भीमडा, रामधन, रूघनाथ पिता गोगा जाति बैरवा के मौके की जॉच की। खसरा संख्या 546, 542, 541,543,544,545,546,556,547,548,535 के लगवा क्षेत्रफल का संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार पृथक से मौका पर्चा तैयार किया गया जो संलग्नानुसार है खसरा संख्या 535,548,547,546,545,544,543,541,542,556 में सहखातेदार सहमत है तथा वर्तमान में उक्त रास्ते से आवागमन हो रहा जो आवागमन हेतु सुविधा जनक रहेगा। वांछित खसरा संख्या 535 सिवायचक खाते में सहकारी समिति के नाम दर्ज रिकॉर्ड है खसरा नम्बर 546,542,541,543,544,545,546,547,548 के खातेदार बिना प्रतिकर की राशि किये हुये रास्ता दिया जाने में सहमत है तथा खसरा संख्या 535 सिवाइचक खाते में सहकारी समिति के रिकॉर्ड में दर्ज है खसरा संख्या 546,542,541,543,544,545,546,547,548 के खातेदार बिना प्रतिकर के रास्ते हेतु सहमत है। खसरा संख्या 535 में रास्ते का क्षेत्रफल लम्बाई 102गुणा6 बराबर 612 वर्गमीटर आता है जिसकी डी.एल.सी रेट 225423 प्रतिहैक्टर है डी.एल.सी की दोगुनी राशि 612वर्गमीटर की 27592रूपये बनते है

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.24 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी ग्राम सवाईपुरा के खसरा संख्या 520 रकबा 2.02हैक्टर में जाने के लिए के लिए वर्तमान में खसरा संख्या 556,542,541,543,544,545,546,547,548,535 में से जाने वाला रास्ता प्रार्थीगण के लिये आवागमन हेतु सुविधा जनक है जो मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन है खसरा नम्बरो 546,542,541,543,544,545,546,547,548 के खातेदार बिना प्रतिकर की राशि दिये हुये रास्ता दिया जाने में सहमत है तथा खसरा नंबर 535 सिवाइचक खाते में सहकारी समिति के रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा खसरा संख्या 535 में रास्ते का रकबा 612 वर्गमीटर आता है अतः विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सवाईपुरा खसरा संख्या 520 रकबा 2.02हैक्टर में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 556,542,541,543,544,545,546,547,548,535 में सें जाने वाला आवागमन हेतु सुविधा जनक है खसरा संख्या 546,542,541,543,544,545,546,547,548 के खातेदार बिना प्रतिकर की राशि लिये हुये रास्ता दिया जाने में सहमत है तथा खसरा संख्या 535 सिवायचक खाते में सहकारी समिति के रिकॉर्ड में से 102x6=612वर्गमीटर आता है जिसकी डी.एल.सी रेट 225423प्रति हैक्टर है डी.एल.सी की दोगुनी राशि से उक्त रास्ते के उपयोग भूमि 612वर्गमीटर की बनी राशि 27592रूपये है प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा संख्या 535, में से 102x6=612वर्गमीटर भूमि को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थीगण से उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की डी.एल.सी रेट से बनी राशि के दूगूने 27592रूपये प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सूचित करा राशि उपलब्ध करावे, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम सवाईपुरा के खसरा संख्या 520 में आने जाने के लिए रास्ता खसरा संख्या 535,546,542,541,543,544,545,546,547,548 मे से रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.24 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner